

जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे विद्यमान करदाताओं के नामांकन हेतु

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

भाग— अ :— सामान्य जानकारी

1. विद्यमान करदाता कौन है ?

विद्यमान करदाता एक इकाई है जो निम्न किन्हीं अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयत है—

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. सेवा कर
3. राज्य विक्रय कर / मूल्य संवर्धित कर (विशिष्ट मदिरा व्यवसायी जो मूल्य संवर्धित कर मे पंजीकृत है को छोड़कर)
4. प्रवेश कर
5. विलासिता कर
6. मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले कर को छोड़कर)

2. जी.एस.टी.पोर्टल मे शब्द “ Enrollment ”(नामांकन) का अर्थ क्या है?

जी.एस.टी. के अंतर्गत Enrollment का अर्थ विद्यमान करदाताओं के डाटा को मान्य करना तथा आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि करना है।

3. क्या मुझे जी.एस.टी. के लिये “ Enrollment ”(नामांकन) कराने की आवश्यकता है ?

प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों मे पंजीकृत वे सभी विद्यमान करदाता जो पंजीकृत हैं को जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ेगा। जी.एस.टी. हेतु नामांकन, जी.एस.टी. कर प्रणाली मे बाधारहित अंतरण सुनिश्चित करेगा। विभिन्न कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध डाटा अपूर्ण है अतः नवीन नामांकन की योजना बनाई गई है यह जी.एस.टी. डाटा बेस मे वर्तमान डाटा की उपलब्धता को, बिना किसी संशोधन प्रक्रिया के सुनिश्चित करेगा जो आज के दिनॉक मे कर अधिनियम के अंतर्गत डेटा को अद्यतन करने का मानक है।

4. जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे मुझे यूजर के रूप मे “ Enrollment ”(नामांकन)

की आवश्यकता क्यों है ?

इस उद्देश्य के लिये जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल का सृजन इसी उद्देश्य के लिए किया गया है क्योंकि चूंकि जीएसटी सिस्टम में किसी प्रकार के पेपर आधारित नामांकन को किसी भी प्रकार का पेपर आधारित नामांकन मान्य नहीं होगा इसलिए जीएसटी सिस्टम पोर्टल का निर्माण किया गया है। आपको जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे यूजर के रूप मे नामांकन कराने की जरूरत होगी जो आपको जी.एस.टी. अनुपालन आवश्यकताओं जैसे विवरणी की प्रविष्टि करना, कर का भुगतान करना आदि में पंजीयत के रूप मे सक्षम बनायेगा।

5. जी.एस.टी. पोर्टल सिस्टम मे मुझे कब नामांकित होने की आवश्यकता पड़ेगी?

प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों मे पंजीकृत वे सभी विद्यमान करदाता जो पंजीकृत हैं को जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे नामांकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य वैट तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अक्टूबर 2016 से, जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल मे बताये गये योजना के अंतर्गत, जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल मे नामांकन प्रारंभ कर सकते हैं। सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत करदाता को अन्य तिथि में नामांकित किया जायेगा जिसके लिये पृथक से सूचना जारी की जायेगी।

6. जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल मे deemed enrollment की कोई परिकल्पना की गई है क्या ?

नहीं, जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे deemed enrollment नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों मे पंजीकृत वे सभी विद्यमान करदाता जो पंजीकृत हैं से आशा की जाती है कि वे जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे जाकर स्वयं को नामांकित करें।

7. क्या जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे नामांकन के लिये किसी प्रकार का कोई शुल्क / प्रभार वसूल किया जायेगा?

नहीं, जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल में करदाता के नामांकन हेतु किसी प्रकार का शुल्क / प्रभार निर्धारित नहीं हैं।

8. क्या प्रश्न क्रमांक एक मे वर्णित केन्द्र/राज्य/संघ शासित कर अधिनियमों के

अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं के लिये अलग-अलग नामांकन प्रक्रिया है ?

